




कार्यालय कलेक्टर, जिला विदिशा (म.प्र.)

विदिशा, दिनांक 18 मार्च 2019

-आदेश:-

क्रमांक/क्यू /लोसेप्र/2019/ 3015 :म.प्र. शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग भोपाल का ज्ञाप क्र. 6-8/2019/लोसेप्र/61 दिनांक 01.03.2019 के पालन में लोक सेवा केंद्रों हेतु नवीन निविदा जारी (आर.एफ.पी./टेंडर) कर लोक सेवा केंद्रों का चयन किया जाना है परंतु दिनांक 10.03.2019 से लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई जिसके उपरांत राज्य लोक सेवा अभिकरण भोपाल के ज्ञाप क्र0 357/2019/रालोसेअ/प्रशासन दिनांक 12.03.2019 से निर्देश प्राप्त हुए है कि उक्त टेंडर हेतु दिनांक 03.04.2019 तक निविदा ली जा सकती है शेष कार्यवाही आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत की जावेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


कलेक्टर
जिला विदिशा

पृ0क्रमांक/लो0से0प्र0/2019/
प्रतिलिपि :-

3016

विदिशा, दिनांक 18 मार्च 2019

1. सचिव, म0प्र0 शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालक संचालक , राज्य लोक सेवा अभिकरण भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. जिला ई-गवर्नेन्स प्रबंधक विदिशा की ओर भेजकर लेख है कि जिले की बेवसाईट पर अपलोड करें।


कलेक्टर
जिला विदिशा